

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय बिजनौर

विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ के पत्रांक सं०-1928/एस०एफ०सी०एम० सैल/लखनऊ दिनांकित 28.02.2026 के अनुपालन में परिवार न्यायालय, जनपद बिजनौर में परामर्शदाताओं के 02 पदों पर नियुक्ति के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्र शासन को अग्रसरित किये जाने हैं। जिस हेतु शासनादेश सं०-102/सात-न्याय-2-2015-728/86 न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊ दिनांक 18.06.2015 के द्वारा निम्नलिखित योग्यता/समूह से सम्बन्धित इच्छुक अभ्यर्थी संलग्न निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कर सकते हैं।

1-व्यक्ति जनपद बिजनौर से संबंधित हो। यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति करने में कोई बाधा नहीं है।

2-शैक्षिक अर्हता हेतु यह ध्यान रखा जायेगा कि अर्ह व्यक्ति समाज शास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो। जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक हो और पारिवारिक कौन्सिलिंग में जिसे दो वर्ष का अनुभव हो, उसे वरीयता दी जायेगी।

3-विज्ञापन के समय परामर्शदाता की आयु 35 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

4-परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में **तीन वर्ष** का होगा। उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर **03 वर्ष** के लिए उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

5-उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-20/2024/525/सात-न्याय-2-2024-64 जी०/2023 दिनांकित 20.06.2024 के अनुसार वर्तमान में परिवार न्यायालय के परामर्शदाता का मानदेय/फीस रूपया 1,000/- (रूपये एक हजार मात्र) प्रति कार्यदिवस या रूपये 24,000/- (रूपये चौबीस हजार मात्र) प्रतिमाह, जो भी कम हो देय है।

इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय जनपद बिजनौर में दिनांक 31.03.2026 तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं अथवा व्यक्तिगत रूप से जमा करा सकते हैं।

दिनांक-17.03.2026

प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय बिजनौर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. ओ०एस०डी०, (कम्प्यूटर) माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
- ✓ 2. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग जिला जजी बिजनौर को उक्त विज्ञप्ति एवं संलग्न आवेदन प्रारूप जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने के संबंध में संबंधित को निर्देशित करने हेतु।
3. जिला सूचना अधिकारी, बिजनौर को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उक्त विज्ञप्ति को अपने स्तर से दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
4. मुंसरिम परिवार न्यायालय बिजनौर को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त विज्ञप्ति/सूचना को जनपद न्यायालय, बाह्य न्यायालय, जिलाधिकारी एवं बार के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय बिजनौर।

परिवार न्यायालय बिजनौर में परामर्शदाता के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. पद का नाम- _____

2. आवेदक का पूरा नाम- (हिन्दी में)- _____
(अंग्रेजी में)- _____

3. पिता/ पति का नाम- _____

4. स्थायी आवासीय पता- _____

5. पत्राचार हेतु पता- _____

मोबाइल नं०- _____ ई०मेल आई०डी०- _____ (फोटो प्रमाणित करें)

6. जन्म तिथि- _____

7. आवेदक की आयु _____ वर्ष _____ माह _____ दिन

(हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सक्षम परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

8. शैक्षिक योग्यता उत्तीर्ण परीक्षाओं का उल्लेख करें और प्रमाण पत्रों तथा अंक तालिकाओं की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

शैक्षिक योग्यता का विवरण-

क्रम संख्या	परीक्षा/ डिग्री	संस्था का नाम	वर्ष	अन्य टिप्पणी

9-क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक वाद लम्बित है अथवा उसे किसी आपराधिक वाद में दण्डित किया गया है। (यदि हाँ तो उसका उल्लेख करें)- _____

10- अनुभव यदि कोई हो तो _____

नोट- यह आवेदन पत्र में अंकित किया जाना आवश्यक है।

घोषणा पत्र

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त वर्णित सूचनाएं सत्य हैं और मैंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि कोई विवरण/ सूचना असत्य अथवा गलत पायी जाती है या कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाता है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जाये।

संलग्नकों की संख्या-

1. अंको एवं शब्दों में-

2. विवरण-

3. तिथि-

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं पता